eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

मानवाधिकार एवं महिलाएं

[1]डॉ0 नलिनी लता सचान
[1]राजनीति विज्ञान विभाग, डी.ए–वी. कालेज, कानपुर, उ0प्र0

Received: 25 September 2023 Accepted and Reviewed: 15 October 2023, Published : 01 Dec 2023

Abstract

प्रकृति ने जन्म से ही मनुष्य को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा मानवीय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है अर्थात् मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो उसे मनुष्य होने के के कारण मिले हुए हैं। इसका आधार मनुष्यता है और सम्पूर्ण विश्व में इन अधिकारों को मान्यता मिली हुई है। मानवाधिकार लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, राज्य तथा स्थान की सीमाओं से परे हैं। मानवाधिकारों की सर्वप्रथम स्पष्ट घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गयी थी। ये घोषणापत्र समस्त मनुष्य जाति के अधिकारों और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है जो कि 30 अनुच्छेदों में दिया गया है। हालांकि राष्ट्र संघ द्वारा इन अधिकारों की घोषणा से पूर्व भी अनेक ऐसे प्रयत्न किये गये जो मानवाधिकारों से सम्बन्धित थे। इनमें से मुख्य है सन् 1215 का इंग्लैण्ड का मैग्नाकार्टा, 1689 का बिल आफ राइट्स, 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 में फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा, पूर्व सोवियत संघ का संविधान आदि। वास्तव में मानवाधिकार के लिये संघर्ष का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी की स्वयं मानव सभ्यता। जैसा कि महान विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सम्पूर्ण मानव इतिहास शोषक और शोषित के संघर्ष की कहानी है अर्थात् आरम्भ से ही मानव अपने अधिकारों हेतु संघर्ष करता रहा है और आज की स्थिति में पहुंचा है। सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा मानव अधिकारों के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है जो कि राज्यों पर बाध्यकारी न होते हुए भी अनेक बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का आधार है जो राज्य आपस में एक दूसरे से करते हैं मानवाधिकार की रक्षा हेतु। यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों एवं मानकों के लिये आधार का काम करती है साथ ही राष्ट्रीय कानूनों कें लिये भी आधार प्रस्तुत करती है।

शब्द संक्षेप– मानवाधिकार, महिलाएं, समानता तथा मानवीय गरिमा।

Introduction

भारत के संविधान द्वारा भी मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन तथा सदियों से चल रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धर्म सुधार आन्दोलन के अवलोकन में संविधान द्वारा भारत के समस्त नागरिकों के अधिकारों को गारन्टी प्रदान की गयी। नागरिकों के अधिकारों का सर्वप्रमुख रूप से उल्लेख संविधान के भाग–3 में मौलिक अधिकार के रूप मे किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का आरम्भ ही हम भारत के लोगों के साथ होता है अर्थात् यह संविधान सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अधिक प्रदान करता है और इसी कारण इसे सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान में मौलिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

अधिकारों का वर्णन अनु0 12 से 35 तक किया गया है और भारत के समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव जैसे– जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान तथा वंश के भेदभाव के प्रदान किये हैं। संविधान के भाग–4 में वर्णित नीति–निर्देशक तत्व भी नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं हालांकि वे न्याय योग्य नही है। इन सब के अतिरिक्त भी संविधान में जगह–जगह विशेष वर्गों के लिये भी अधिकारों की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है जैसे– संविधान को 5वीं व 6वीं अनुसूची आदिवासी व्यक्तियों के अधिकारों के लिये विशेष प्रावधान करती है और इसके अधिकारेां की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बनाया गया है।

भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता शोषण के विरूद्ध एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान इस हेतु महिला एवं पुरूष में भी कोई भेदभाव नही करता है और दोनों को समान अधिकार प्रदान करता है। भारत में महिलायें सम्पूर्ण आबादी का लगभग आधा हिस्सा है और अनादि काल से महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ मिलकर कार्य किया है। भारतीय महिलायें घर गृहस्थी का पूरा कामकाज निबटाने के साथ–साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र, खेतों, खलिहानों, कल–कारखानों, दफ्तरों, अस्पतालों में उपयोगी कार्य करती आयी है। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी तथा उन्हें पर्याप्त मान–सम्मान भी प्रदान किया जाता है। समय के साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आने लगी तथा उनके प्रति हिंसा की घटनायें बढ़ने लगी। समाज में बाल–विवाह, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, कन्या भूण हत्या जैसी अनेक कुप्रथायें आ गई और महिलायें एक दोयम दर्जे की नागरिक बन कर रह गई तथा उनके साथ घर तथा घर के बाहर हिंसा की घटनायें बढ़ने लगी। जो प्रतिदिन बढ़ती ह जा रही है और उनका रूप वीभत्स से वीभत्सतम होता जा रहा है। आज प्रतिदिन टीवी व समाचार पत्रों में महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के ऐसे मामले आते हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मामले और घटनायें केवल बाहरी व्यक्तियों द्वारा ही अन्जाम नही दिये जाते है बल्कि घर के अपने लोगों द्वारा भी किये जाते हैं अर्थात् हम एक ऐसे समाज बन गये हैं जहां महिलाये न घर में सुरक्षित है न ही बाहर। महिला अधिकारों के साथ हिंसा की अनेक घटनायें अलग–अलग रूप में सामने आती है। जैसे–

1. **पारिवारिक हिंसा**– पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज करना, विधवा व वृद्ध महिलाओं पर अत्याचार।
2. **दहेज हत्यायें**– वधू दहन
3. **लैंगिक हिंसा**– वैश्यावृत्ति, लैंगिक अत्याचार, देह–व्यापार
4. **हिंसात्मक अपराध**– अपहरण, हत्या, लूटपाट
5. **सामाजिक हिंसा**– भूण, हत्या, महिला के साथ छेड़छाड़

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 लाख है जिसमें 63.37 करोड़ पुरूष व 58.64 करोड़ महिलायें है। 8 मई 2022 को आये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों में एक तिहाई महिलाओं ने अपने साथ घरेलू हिंसा की बात को स्वीकार किया है। घरेलू हिंसा के मामलो में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी अन्तर पाया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

के अनुसार 18 से 49 वर्ष की लगभग 30 प्रतिशत महिलायें ऐसी है जिन्हे 15 वर्ष की उम्र के बाद शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। घरेलू हिंसा के मामले में कर्नाटक (48 प्रतिशत) की स्थिति सबसे खराब है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ;छठत्ब्द्ध की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि सन् 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के प्रति अपराध 15.3 प्रतिशत बढ़ गया है। जहां 2020 में महिलाओं के प्रति अपराध के 3,71,503 मामले दर्ज किये गये वही 2021 में यह संख्या बढ़कर 4,28,278 हो गई। महिलाओं और युवतियों के प्रति अपराध के मामले में राजस्थान राज्य सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार सन् 2011 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल आंकड़े 228650 थे अर्थात् साल दर साल महिलाओं के प्रति होने वाली अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। सन् 2011 से 2021 के बीच में महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में 87 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। जोकि महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय की भयावयता को दर्शाता है। भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ते हिंसात्मक अपराधों को यदि देखें तो हमें अनेक कारण दिखाई देते है। भारतीय समाज सदा से ही पित्र सत्तात्मक समाज रहा है जहाँ पर अधिकांश सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नियम पुरूषों के हित में बनाये गये हैं। परिवार पुरूष के नाम से चलता है सम्पत्ति का मालिक पुरूष होता है। महिलााअें की तुलना में पुरूषों के पास अधिक शक्ति व संसाधन होते हैं जिससे महिलायें आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर होती है और अपने अधिकारों के लिये संघर्ष नहीं कर पाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट यह भी मानती है कि घरेलू हिंसा संस्कृति का एक हिस्सा बन गई है जहाँ पर महिलायें अपने पारिवारिक सदस्यों के अपराध सहती रहती है और उनके विरूद्ध आवाज भी नहीं उठाती है जिससे अपराध करने वालों के हौंसले और बढ़ते जाते हैं। लैंगिक जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव भी महिलााअें के प्रति हिंसा का एक कारण है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि महिलाओं में जैसे–जैसे शिक्षा व सम्पत्ति का स्तर बढ़ता है वैसे–वैसे हिंसक घटनाये भी कम होती जाती है। अभी भारत में कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। जो पुरूषों के मुकाबले काफी कम है।

अतः महिलाओं की साक्षरतर पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारो को रोकने के लिये सरकार तथा न्यायपालिका तत्पर है और इस हेतु अनेक कानून बनाकर महिला अत्याचार रोकने का प्रयास किया गया है तथा अपराधियों के लिये सजा के भी प्रावधान किये गये हैं। महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये प्रमुख कानून है –

1. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और 1986– दहेज प्रथा रोकने तथा खत्म करने के उद्देश्य से दहेज लेना व देना दोनों को अपराध घोषित किया गया है।
2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
3. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955– जिसमें स्त्री या पुरूष के दूसरे विवाह को प्रतिबन्धित किया गया है।
4. महिला आरोपी की दण्ड प्रक्रिया संहिता– 1973 महिला अपराधी को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 12, December 2023

5. भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994– महिलाओं की घटती हुई संख्या पर रोक लगाने हेतु।
6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम– 2005
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये वर्कप्लेस बिल–2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिये बनाया गया है।
8. पाक्सों अधिनियम – नाबालिग बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम हेतु।

जाहिर है कि सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के प्रति गम्भीर है और उस हेतु लगातार प्रयत्न भी कर रही है। इसी कड़ी में 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून बनाकर 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया जो मानवाधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 बनाकर राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का मुख्य काम महिलाओं के सांविधिक और विधिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु तत्पर रहती है। न्यायपालिका की महिला अधिकारों की रक्षा एवं मानवाधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना एमनेस्टी इण्टरनेशनल ने भी की है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं को रोका जाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। अनेक संवैधानिक व कानूनी प्रावधान किये जाने के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा का बढ़ते जाना यह बताता है कि अभी महिला सुरक्षा के लिये बहुत कुछ दिये जाने की आवश्यकता है इसमे महिलाओं को शिक्षित बनाया जाना उनके लिये रोजगार के अवसर विकसित करना, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिये जागरूक बनाये जाने तथा कार्यक्षेत्र में सुरक्षित वातावरण बनाये जाने तथा घर में बराबर हक व सम्मान दिये जाने की आज भी आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1- पंत, नवीन, ग्राम विकास में महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र सितम्बर 1994, पेज 9 नई दिल्ली।
2. नाराणी, प्रकाश नारायण, बुक इन्क्लेव, जयपुर पेज– 178
3. http//himwikipedia.org
4- http//www.dnaindia.com
5- www.jagran.com
6. शर्मा, सुभाष ''भारत में मानवाधिकार'' नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 2020
7. मेहरोत्रा, ममता महिला अधिकार ''राधाकृष्णन प्रकाशन, जनवरी 2014
8. गुप्ता सुभाषचन्द्र, मीनाक्षी राजपूत ''घरेलू हिंसा अधिनियम और महिलाये'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2019
9. वत्सला, डॉ0 प्रत्युष ''महिला हिंसा का अन्त, कल आज और कल, पुस्तक प्रकाशन 2015
10- ग्रेनविल भाष्टिन– इण्डियन कान्स्टीट्यूशन, दि कार्नर स्टोन ऑफ नेशन, 1966